eISSN 2581-8996
ONLINE
INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (IJARMS)
A BI-ANNUAL, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED JOURNAL
Volume 08, Issue 02, July 2025

एक राष्ट्र, एक चुनाव की व्यवहारिकता

डा0 अरविन्द कुमार शुक्ल[1]
[1]एसोसिएट प्रोफेसर राजनीति विज्ञान, राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बिन्दकी, फतेहपुर उ0प्र0

Received: 20 July 2025, Accepted: 25 July 2025, Published with Peer Reviewed on line: 31 July 2025

Abstract

एक राष्ट्र, एक चुनाव की अवधारणा भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था में व्यापक सुधार का प्रस्ताव रखती है, जिसके अंतर्गत लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराए जाएँ। इस नीति का मुख्य उद्देश्य चुनावी प्रक्रियाओं में समय, धन और संसाधनों की बचत करना, शासन में स्थिरता लाना और प्रशासनिक कार्यकुशलता को बढ़ाना है। ऐतिहासिक रूप से भारत में 1951 से 1967 तक लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव लगभग एक साथ होते रहे, लेकिन बाद में विभिन्न कारणों जैसे सरकारों का समय से पहले गिरना, आपातकाल, और राजनीतिक अस्थिरताकृके चलते यह व्यवस्था टूट गई। आज के परिदृश्य में चुनावी चक्र का लगातार चलता रहना प्रशासनिक कामकाज में व्यवधान उत्पन्न करता है, भारी आर्थिक लागत लाता है और मतदाता तथा सुरक्षा बलों पर अतिरिक्त दबाव डालता है।

इस शोधपत्र में एक राष्ट्र, एक चुनाव की व्यवहारिकता का बहुआयामी विश्लेषण किया गया हैकृ जिसमें संवैधानिक, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और तकनीकी पहलुओं के साथ–साथ अंतरराष्ट्रीय उदाहरणों का भी अध्ययन शामिल है। साथ ही, नीति के पक्ष और विपक्ष में दिए गए तर्कों का आलोचनात्मक मूल्यांकन कर व्यावहारिक समाधान और कार्यान्वयन की रणनीतियाँ प्रस्तुत की गई हैं।

मुख्य शब्द–– एक राष्ट्र, एक चुनाव, लोकसभा चुनाव, राज्य विधानसभा चुनाव, चुनावी सुधार, संवैधानिक संशोधन, राजनीतिक स्थिरता, चुनावी लागत, लोकतंत्र, चुनाव आयोग, संयुक्त चुनाव प्रणाली

Introduction

भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, जहाँ हर वर्ष किसी न किसी राज्य में चुनावी गतिविधियाँ चलती रहती हैं। यह निरंतर चुनावी प्रक्रिया लोकतांत्रिक सशक्तिकरण का संकेत तो देती है, लेकिन साथ ही कई व्यावहारिक चुनौतियाँ भी उत्पन्न करती है जैसे प्रशासनिक संसाधनों का बार–बार चुनावी कार्य में लगना, शिक्षा और विकास परियोजनाओं पर असर पड़ना, तथा राजकोषीय बोझ बढ़ना। एक राष्ट्र, एक चुनाव की अवधारणा इसी पृष्ठभूमि में सामने आती है। इसका अर्थ है कि देश के सभी निर्वाचन लोकसभा और सभी राज्यों की विधानसभाओं के एक साथ निर्धारित समय पर कराए जाएँ।

यह विचार नया नहीं है; 1951 से 1967 तक भारत में लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ ही होते थे। किंतु समय से पहले सरकार गिरने, आपातकाल, और राजनीतिक अस्थिरता जैसी परिस्थितियों ने इस समन्वित चुनाव प्रणाली को असंतुलित कर दिया। हाल के वर्षों में इस व्यवस्था को पुनः लागू करने पर बहस तेज हुई है। समर्थकों का मानना है कि इससे चुनावी खर्च में कमी आएगी, प्रशासनिक कार्यकुशलता बढ़ेगी और नीति–निर्माण में निरंतरता बनी रहेगी। दूसरी ओर, विरोधियों का तर्क है कि यह संघीय ढाँचे की आत्मा के विपरीत है, राज्यों की राजनीतिक स्वतंत्रता को प्रभावित कर सकता है, और तकनीकी व संवैधानिक बाधाएँ इसके क्रियान्वयन को कठिन बनाती हैं।

eISSN 2581-8996
ONLINE
INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (IJARMS)
A BI-ANNUAL, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED JOURNAL
Volume 08, Issue 02, July 2025

यह शोधपत्र एक राष्ट्र, एक चुनाव की व्यवहारिकता को एक समग्र दृष्टिकोण से विश्लेषित करता है, जिसमें ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, संवैधानिक प्रावधान, आर्थिक और सामाजिक प्रभाव, राजनीतिक चुनौतियाँ, अंतरराष्ट्रीय अनुभव, तथा संभावित समाधान शामिल हैं।

परिकल्पना (Hypothesis) **–** एक राष्ट्र, एक चुनाव प्रणाली भारत में चुनावी प्रक्रिया को अधिक कुशल, किफ़ायती और पारदर्शी बना सकती है, बशर्ते कि इसे संवैधानिक संशोधनों, तकनीकी उन्नति और राजनीतिक सहमति के साथ लागू किया जाए। यह प्रणाली शासन की स्थिरता बढ़ाने, चुनावी लागत घटाने और मतदाता सहभागिता में सुधार लाने में सक्षम है, लेकिन इसके लिए संघीय ढांचे की संवेदनशीलताओं और क्षेत्रीय विविधताओं का सम्मान अनिवार्य होगा।

मुख्य परिकल्पना – यदि भारत में एक राष्ट्र, एक चुनाव प्रणाली को संवैधानिक प्रावधानों, तकनीकी अवसंरचना, और सर्वदलीय सहमति के साथ लागू किया जाए, तो यह चुनावी प्रक्रिया को अधिक कुशल, किफायती और पारदर्शी बना सकती है, साथ ही शासन की स्थिरता और नीति–निर्माण की गति में वृद्धि कर सकती है।

सहायक परिकल्पनाएँ–

1. **आर्थिक परिकल्पना** – एकसमान चुनाव से चुनावी खर्च में 50 प्रतिशत से अधिक की कमी और प्रशासनिक संसाधनों का बेहतर उपयोग संभव है।
2. **राजनीतिक परिकल्पना** – संयुक्त चुनाव से बार–बार होने वाले चुनावी व्यवधान कम होंगे, जिससे सरकारें अपने पूरे कार्यकाल पर ध्यान केंद्रित कर पाएंगी।
3. **सामाजिक परिकल्पना** – एकसमान चुनाव मतदाता थकान को कम करेगा और राजनीतिक जागरूकता व मतदान प्रतिशत को बढ़ाएगा।
4. **तकनीकी परिकल्पना** – EVM, VVPAT और डिजिटल वोटिंग के सुरक्षित और व्यापक उपयोग से बड़े पैमाने पर एक साथ चुनाव कराना संभव होगा।
5. **संघीय परिकल्पना–** यदि संवैधानिक सुरक्षा उपाय लागू किए जाएँ तो संयुक्त चुनाव संघीय ढांचे की स्वायत्तता को प्रभावित किए बिना संभव है।

शून्य परिकल्पना– भारत में एक राष्ट्र, एक चुनाव प्रणाली लागू करने से चुनावी दक्षता, लागत में कमी, और मतदाता सहभागिता में कोई महत्वपूर्ण सुधार नहीं होगा, तथा यह व्यवस्था संघीय ढांचे और लोकतांत्रिक संतुलन को बाधित कर सकती है।

शोध प्राविधि– (Research Methodology)

शोध का प्रकार– यह शोध वर्णनात्मक और विश्लेषणात्मक दोनों है।

वर्णनात्मक – "एक राष्ट्र, एक चुनाव" की अवधारणा, इतिहास, और वर्तमान परिदृश्य का विवरण।

विश्लेषणात्मक – संवैधानिक, आर्थिक, राजनीतिक, तकनीकी और सामाजिक पहलुओं का तुलनात्मक अध्ययन, साथ ही लाभ–हानि का मूल्यांकन।

शोध दृष्टिकोण –

eISSN 2581-8996
ONLINE
INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (IJARMS)
A BI-ANNUAL, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED JOURNAL
Volume 08, Issue 02, July 2025

- गुणात्मक दृष्टिकोण – साक्षात्कार, नीति दस्तावेज, और विशेषज्ञ विचारों का अध्ययन।
- मात्रात्मक दृष्टिकोण – चुनावी लागत, मतदान प्रतिशत, और प्रशासनिक संसाधनों के आंकड़ों का विश्लेषण।

डेटा के स्रोत –

(क) प्राथमिक स्रोत – भारत निर्वाचन आयोग की वार्षिक और विशेष रिपोर्टें, विधि आयोग की सिफारिशें, नीति आयोग के चर्चा पत्र, विशेषज्ञों के साक्षात्कार, पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त, संवैधानिक विद्वान, राजनीतिक विश्लेषक।

(ख) द्वितीयक स्रोत– पुस्तकों और शोधपत्रों से संदर्भ, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय जर्नल्स के लेख, समाचार पत्र और डिजिटल मीडिया रिपोर्ट, अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं (जैसे Inter Parliamentary Union) की चुनावी प्रक्रिया संबंधी रिपोर्ट।

डेटा संग्रहण की विधियाँ –

1. साहित्य समीक्षा– 1951 से 2025 तक के चुनावी इतिहास और सुधार प्रस्तावों का अध्ययन।
2. तुलनात्मक अध्ययन – भारत के मॉडल की तुलना अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, और स्वीडन जैसे देशों के संयुक्त चुनाव मॉडलों से।
3. केस स्टडी– 1951–1967 के भारत के संयुक्त चुनाव और उनके टूटने के कारण।
4. आंकड़ा विश्लेषण– खर्च, समय, और मतदान प्रतिशत के आंकड़ों का मूल्यांकन।

विश्लेषण की तकनीक–

- लागत–लाभ विश्लेषण– चुनावी खर्च और बचत की तुलना।
- SWOT Analysis – ताकत, कमजोरी, अवसर और खतरे का विश्लेषण।
- Trend Analysis – पिछले 70 वर्षों के चुनावी डेटा में बदलाव का अध्ययन।

शोध की सीमाएँ –

1. सभी राज्यों से प्राथमिक डेटा प्राप्त करना संभव नहीं हो सका।
2. राजनीतिक दलों की आंतरिक रणनीति से संबंधित आंकड़े सीमित रूप से उपलब्ध हैं।
3. भविष्यवाणी के लिए प्रयुक्त आंकड़े वर्तमान प्रवृत्तियों पर आधारित हैं, जो परिस्थितियों के बदलने पर परिवर्तित हो सकते हैं।

ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य– भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद लोकतांत्रिक प्रणाली को लागू करने का सबसे महत्वपूर्ण कदम था, नियत अंतराल पर निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव कराना। भारत का पहला आम चुनाव 1951–52 में संपन्न हुआ, जिसमें लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराए गए। उस समय, चुनाव आयोग ने एक संगठित और समन्वित प्रक्रिया अपनाई, जिससे देशभर में एक ही समय पर मतदान संपन्न हो सका। यह व्यवस्था अगले तीन चुनावों (1957, 1962, 1967) तक कायम रही।

प्रारंभिक संयुक्त चुनावों का अनुभव (1951–1967)– 1951 से 1967 तक भारत में एक राष्ट्र, एक चुनाव जैसी प्रणाली सफलतापूर्वक लागू रही। इसके प्रमुख कारण थे जैसे राजनीतिक स्थिरता अर्थात उस समय

eISSN 2581-8996
ONLINE
INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (IJARMS)
A BI-ANNUAL, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED JOURNAL
Volume 08, Issue 02, July 2025

केंद्र और राज्यों में अधिकांशतः एक ही राजनीतिक दल (कांग्रेस) का वर्चस्व था। संसदीय कार्यकाल की नियमितता अर्थात सरकारें अपना पाँच वर्षीय कार्यकाल पूर्ण करती थीं, जिससे चुनाव समय पर हो पाते थे। प्रशासनिक समन्वय अर्थात केंद्र और राज्यों के चुनाव आयोगों में समयबद्ध तालमेल था।

संयुक्त चुनाव प्रणाली के विघटन के कारण– 1967 के बाद यह व्यवस्था टूटने लगी। इसके प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं जैसे राजनीतिक अस्थिरता अर्थात 1967 के बाद कई राज्यों में गठबंधन सरकारें बनीं, जो समय से पहले गिर गईं। आपातकाल (1975–77) चुनावी कैलेंडर में असमानता आई। लोकसभा का समय से पहले भंग होना अर्थात 1970 में लोकसभा का कार्यकाल पूरा होने से पहले समाप्त कर दिया गया। संविधान में संशोधन अर्थात कार्यकाल बढ़ाने या घटाने के कारण चुनावी चक्र गड़बड़ा गया।

वर्तमान चुनावी परिदृश्य– आज भारत में लोकसभा चुनाव हर पाँच साल में एक बार होते हैं, लेकिन राज्य विधानसभाओं के चुनाव अलग–अलग समय पर होते रहते हैं। इसका परिणाम यह है कि लगभग हर वर्ष 2–3 राज्यों में चुनाव होते हैं। चुनाव आयोग, सुरक्षा बल और प्रशासनिक मशीनरी बार–बार चुनावी कार्य में लगती है। राजनीतिक दल लगातार चुनावी मोड में रहते हैं, जिससे दीर्घकालिक नीतियों पर फोकस कम हो जाता है।

ऐतिहासिक सबक– भारत के शुरुआती संयुक्त चुनावों से यह सिद्ध होता है कि यह प्रणाली संभव है, बशर्ते राजनीतिक स्थिरता बनी रहे। सरकारें अपना कार्यकाल पूरा करें। संवैधानिक व कानूनी प्रावधान स्पष्ट हों।

एक राष्ट्र, एक चुनाव की अवधारणा का औचित्य– एक राष्ट्र, एक चुनाव का मुख्य उद्देश्य देश में सभी प्रमुख चुनावों अर्थात लोकसभा और राज्य विधानसभाओं को एक साथ कराना है, ताकि बार–बार चुनाव कराने की प्रक्रिया से उत्पन्न समय, धन और संसाधनों की खपत को कम किया जा सके। यह विचार सिर्फ प्रशासनिक दक्षता का मामला नहीं है, बल्कि यह लोकतांत्रिक स्थिरता, आर्थिक बचत, और नीतिगत निरंतरता सुनिश्चित करने का प्रयास भी है। चुनावी लागत में कमी अर्थात वर्तमान प्रणाली में हर वर्ष किसी न किसी राज्य में विधानसभा चुनाव होते रहते हैं। प्रत्येक चुनाव में हजारों करोड़ रुपये खर्च होते हैं, जिनमें प्रशासनिक खर्च, सुरक्षा व्यवस्था, और चुनाव प्रचार की लागत शामिल है। यदि सभी चुनाव एक साथ होंगे तो खर्च में भारी कमी आएगी। बार–बार चुनाव के कारण प्रशासनिक मशीनरी का बड़ा हिस्सा (जैसे जिला प्रशासन, पुलिस बल) चुनावी ड्यूटी में व्यस्त रहता है। इससे विकास योजनाओं के क्रियान्वयन और नियमित प्रशासनिक कार्य प्रभावित होते हैं। एक साथ चुनाव होने पर प्रशासन को लंबे समय तक चुनावी कार्य से मुक्त रखा जा सकता है। संयुक्त चुनाव से सरकारें पूरे कार्यकाल पर ध्यान केंद्रित कर पाएँगी। इससे अल्पकालिक राजनीतिक लाभ के बजाय दीर्घकालिक नीतियों पर काम संभव होगा। बार–बार चुनाव होने से मतदाताओं में थकान और उदासीनता पैदा हो सकती है। संयुक्त चुनाव से मतदान प्रक्रिया एक बड़े उत्सव के रूप में होगी, जिससे मतदान प्रतिशत में वृद्धि संभव है। हर चुनाव से पहले चुनावी आचार संहिता लागू होती है, जिससे नई परियोजनाओं की घोषणा और सरकारी कार्य प्रभावित होते हैं। यदि चुनाव एक साथ होंगे तो यह व्यवधान एक बार ही आएगा। इस व्यवस्था के पक्ष में दिए जाने वाले प्रमुख तर्क है। नीति आयोग (2017) की रिपोर्ट में कहा गया है कि एक राष्ट्र, एक चुनाव से चुनावी खर्च और प्रशासनिक बोझ दोनों में उल्लेखनीय कमी आएगी। पूर्व चुनाव आयुक्तों का मानना है कि यह व्यवस्था संविधानिक संशोधनों के माध्यम से संभव है और इससे लोकतंत्र मजबूत होगा। केंद्र और राज्यों में अलग–अलग चुनाव

eISSN 2581-8996
ONLINE
INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (IJARMS)
A BI-ANNUAL, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED JOURNAL
Volume 08, Issue 02, July 2025

कराने में कुल खर्च अनुमानतः 2014 लोकसभा चुनाव में लगभग ₹3,870 करोड़ (चुनाव आयोग), 2019 लोकसभा चुनाव मे लगभग ₹6,000 करोड़ (सरकारी खर्च), और राजनीतिक दलों का निजी खर्च इससे कई गुना अधिक। यदि इसे राज्यों के चुनावों के साथ जोड़ा जाए तो कुल खर्च कई लाख करोड़ रुपये तक पहुँचता है। संयुक्त चुनाव से इन खर्चों में कम से कम 30–40 प्रतिशत की बचत संभव है। चुनावी प्रक्रिया का समयबद्ध और स्थिर होना लोकतंत्र में विश्वास को मजबूत करता है। राजनीतिक दल चुनावी प्रचार से मुक्त होकर संसद और विधानसभाओं में गंभीर बहस कर सकते हैं।

एक राष्ट्र, एक चुनाव लागू करने के लिए संविधान में कई अनुच्छेदों में संशोधन आवश्यक होंगे, जिनमें प्रमुख हैं जैसे अनुच्छेद 83(2), लोकसभा की अवधि पाँच वर्ष, लेकिन राष्ट्रपति इसे समय से पहले भंग कर सकते हैं। अनुच्छेद 172(1), राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल पाँच वर्ष, लेकिन राज्यपाल इसे समय से पहले भंग कर सकते हैं। अनुच्छेद 85 और 174, संसद और विधानसभाओं के सत्र बुलाने और भंग करने के अधिकार है। इन प्रावधानों में बदलाव किए बिना, सभी चुनावों का एक साथ आयोजन व्यावहारिक रूप से संभव नहीं है। कार्यकाल सिंक्रोनाइज़ेशन अर्थात सभी लोकसभा और विधानसभाओं के कार्यकाल को एक ही समय पर समाप्त कराने के लिए संवैधानिक प्रावधानों में बदलाव। अविश्वास प्रस्ताव, यदि सरकार बीच में गिर जाए तो रचनात्मक अविश्वास प्रस्ताव की व्यवस्था हो, जिससे नई सरकार बने, चुनाव न हों। आपातकालीन प्रावधानों का पुनर्परिभाषण से किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगने की स्थिति में चुनावी कैलेंडर प्रभावित न हो। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में व्यापक संशोधन हो। चुनाव आयोग की शक्तियाँ व राज्यों और केंद्र के चुनाव आयोग का पूर्ण समन्वय हो। चुनाव खर्च सीमा यानी एक साथ चुनाव होने पर खर्च सीमा और रिपोर्टिंग प्रणाली का पुनर्गठन हो आदि संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता होगी।

भारत की संसदीय प्रणाली में सरकार का अस्तित्व बहुमत पर निर्भर करता है। यदि बहुमत खो जाए, तो सरकार गिर सकती है। ऐसे में बीच कार्यकाल में चुनाव कराने की स्थिति आ सकती है, जिससे एक साथ चुनाव का चक्र टूट जाएगा। राज्यसभा स्थायी सदन है, जिसे भंग नहीं किया जा सकता। इसके सदस्यों का कार्यकाल छह वर्ष है और हर दो वर्ष में एक–तिहाई सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं। इसलिए एक राष्ट्र, एक चुनाव का प्रभाव राज्यसभा के चुनावी चक्र पर नहीं पड़ेगा, लेकिन राज्यों के विधान परिषद में भी आंशिक चुनाव होते रहेंगे। संविधान का 73वां और 74वां संशोधन पंचायती राज और शहरी निकाय चुनावों को राज्यों की जिम्मेदारी देता है। इनके चुनावी कैलेंडर को भी विधानसभा और लोकसभा चुनाव के साथ समन्वित करना कठिन होगा, क्योंकि स्थानीय स्तर पर बार–बार राजनीतिक अस्थिरता हो सकती है।

2019 के लोकसभा चुनाव पर चुनाव आयोग का सरकारी खर्च ₹6,000 करोड़ से अधिक था, जबकि राजनीतिक दलों का वास्तविक खर्च इससे कई गुना अधिक अनुमानित है। विधानसभा चुनावों का औसत खर्च प्रति राज्य ₹300–500 करोड़ है। संयुक्त चुनाव से अनुमानतः 30–40 प्रतिशत खर्च की बचत संभव है। मानव संसाधन अर्थात चुनावी ड्यूटी में लगे लाखों शिक्षक, कर्मचारी, और सुरक्षाकर्मी एक ही बार काम करेंगे। भौतिक संसाधन अर्थात ईवीएम, वीवीपैट, मतदान केंद्र, परिवहन व्यवस्था आदि का दोहराव कम होगा। प्रारंभिक वर्षों में ईवीएम/वीवीपैट की संख्या दोगुनी करनी पड़ सकती है। दीर्घकाल में चुनावी खर्च में उल्लेखनीय कमी आएगी, जिससे वित्तीय दृष्टि से यह व्यवस्था लाभकारी होगी।

eISSN 2581-8996
ONLINE
INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (IJARMS)
A BI-ANNUAL, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED JOURNAL
Volume 08, Issue 02, July 2025

राष्ट्रीय दल इस व्यवस्था के अधिक समर्थक हैं, क्योंकि यह बड़े पैमाने पर चुनावी प्रचार को केंद्रीकृत करता है। कई क्षेत्रीय दल इसका विरोध करते हैं, क्योंकि उन्हें राज्य–स्तर पर चुनाव प्रचार में अधिक स्वतंत्रता और लचीलापन मिलता है। क्षेत्रीय दलों को डर है कि संयुक्त चुनाव में राष्ट्रीय मुद्दे हावी हो जाएंगे और स्थानीय मुद्दे गौण हो जाएंगे। इससे उनकी चुनावी रणनीति और जनाधार प्रभावित हो सकता है। इस व्यवस्था के लिए व्यापक सर्वदलीय सहमति आवश्यक है। संसद और राज्यों की विधानसभाओं में दो–तिहाई बहुमत से संवैधानिक संशोधन पारित करना होगा।

संयुक्त चुनाव से मतदान प्रक्रिया को एक महोत्सव के रूप में प्रचारित किया जा सकता है, जिससे मतदान प्रतिशत बढ़ सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में मतदान के प्रति रुचि अधिक हो सकती है, क्योंकि उन्हें बार–बार मतदान केंद्र तक नहीं आना पड़ेगा। संयुक्त चुनाव के दौरान मतदाताओं को एक ही समय में राष्ट्रीय और स्थानीय मुद्दों पर सोचने का अवसर मिलेगा। इससे मतदाता के दृष्टिकोण में व्यापकता आ सकती है। बार–बार चुनाव होने से मतदाता, सुरक्षा बल और प्रशासनिक कर्मचारियों में थकान और उदासीनता पैदा होती है। संयुक्त चुनाव इस थकान को काफी हद तक कम कर सकता है।

संयुक्त चुनाव के लिए देश में ईवीएम की संख्या दोगुनी करनी होगी, क्योंकि लोकसभा और विधानसभा के लिए अलग–अलग मतदान होगा लेकिन एक ही दिन। प्रत्येक मतदान केंद्र पर दो अलग–अलग ईवीएम सेट लगेंगे। मशीनों की सुरक्षा, भंडारण और परिवहन की योजना पहले से बनानी होगी। 2019 से सभी चुनावों में वीवीपैट का उपयोग अनिवार्य है। संयुक्त चुनाव में वीवीपैट की संख्या और प्रिंटिंग क्षमता बढ़ानी होगी। मतदाताओं के लिए दोनों चुनावों की पर्चियां अलग–अलग स्पष्ट रूप से दिखनी चाहिए। ऑनलाइन वोटिंग अभी भारत में केवल प्रवासी और सेवा मतदाताओं के लिए सीमित रूप से सोची जा रही है। संयुक्त चुनाव में डिजिटल वोटिंग तकनीक का प्रयोग भविष्य में लागत कम कर सकता है, लेकिन साइबर सुरक्षा और डेटा गोपनीयता की बड़ी चुनौती होगी। ब्लॉकचेन–आधारित वोटिंग सिस्टम पर परीक्षण चल रहे हैं, जो सुरक्षित और पारदर्शी हो सकते हैं।

दक्षिण अफ्रीका में राष्ट्रीय और प्रांतीय चुनाव एक साथ होते हैं, जिससे प्रशासनिक लागत कम होती है। स्वीडन में संसद और स्थानीय निकाय चुनाव हर चार साल में एक साथ होते हैं। इससे मतदाता सहभागिता और नीतिगत स्थिरता में वृद्धि होती है। जर्मनी में संघीय और राज्य चुनाव अलग–अलग होते हैं, लेकिन कुछ राज्यों में स्थानीय चुनाव संघीय चुनाव के साथ कराए जाते हैं। इन देशों में स्थानीय और राष्ट्रीय चुनाव अलग–अलग होते हैं, लेकिन चुनावी सुधारों पर चर्चा जारी है।

चुनावी खर्च और संसाधन उपयोग में कमी, प्रशासनिक मशीनरी और सुरक्षा बल का एक बार ही उपयोग।, सरकारें पूरे कार्यकाल पर ध्यान केंद्रित कर पाएँगी, एक ही बार मतदान करने की आवश्यकता, आचार संहिता व्यवधान में कमी, विकास कार्यों पर लगातार ध्यान एक राष्ट्र, एक चुनाव के लाभ हैं। संविधानिक संशोधन की कठिनाई, दो–तिहाई बहुमत के साथ संसद और राज्यों में सहमति बनाना मुश्किल, राजनीतिक विरोध, विशेष रूप से क्षेत्रीय दलों का विरोध, जो इसे संघीय ढांचे के खिलाफ मानते हैं, बीच कार्यकाल सरकार गिरने की स्थिति में चुनाव चक्र टूटने का खतरा, तकनीकी और लॉजिस्टिक चुनौतियाँ, लाखों ईवीएम, वीवीपैट, और चुनाव कर्मचारियों की व्यवस्था, स्थानीय मुद्दों का गौण होना, राष्ट्रीय चुनाव में स्थानीय समस्याओं पर ध्यान कम हो सकता है आदिएक राष्ट्र, एक चुनाव की चुनौतियाँ और आलोचनाएँ हैं।

eISSN 2581-8996
ONLINE
INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (IJARMS)
A BI-ANNUAL, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED JOURNAL
Volume 08, Issue 02, July 2025

रचनात्मक अविश्वास प्रस्ताव लागू करना, जिससे सरकार बदलने पर चुनाव न हों। संसद और राज्यों के कार्यकाल को लचीला बनाना, ताकि जरूरत पड़ने पर बढ़ाया या घटाया जा सके। पहले लोकसभा और आधे राज्यों के चुनाव एक साथ कराए जाएं, फिर धीरे–धीरे सभी राज्यों को शामिल किया जाए। पर्याप्त संख्या में ईवीएम और वीवीपैट का उत्पादन और रखरखाव। मतदाता पंजीकरण का डिजिटलीकरण और साइबर सुरक्षा उपाय। सर्वदलीय बैठकें और संसदीय समिति के माध्यम से संवाद। चुनाव सुधार आयोग का गठन, जो सभी पहलुओं पर अध्ययन कर सिफारिशें दे। मतदाताओं को संयुक्त चुनाव के लाभ और प्रक्रिया के बारे में जागरूक करना। नागरिक संगठनों, मीडिया, और शैक्षणिक संस्थानों को शामिल करना संभावित समाधान और कार्यान्वयन की रणनीतियाँ हैं।

भविष्य की संभावनाएँ, 2047 के भारत में एकसमान चुनाव प्रणाली का परिदृश्य– 2047 का भारत, में लोकतांत्रिक परिदृश्य अर्थात भारत की आज़ादी के 100 वर्ष पूरे होने पर, यदि एक राष्ट्र, एक चुनाव पूरी तरह लागू हो जाए, तो संभावित परिदृश्य ऐसा हो कि हर 5 वर्ष में एक निश्चित समय (मान लीजिए अप्रैल–मई) में लोकसभा, सभी राज्यों और नगर निकाय चुनाव एक साथ हों। प्रवासी भारतीय, सेना, और दूरदराज़ क्षेत्रों के लोग सुरक्षित ऑनलाइन माध्यम से मतदान कर सकेंगे। चुनाव आयोग का वार्षिक चुनावी खर्च वर्तमान की तुलना में 60– 70 प्रतिशत तक घट सकता है। एकीकृत मतदाता डेटाबेस और ए आई–संचालित जागरूकता अभियानों से मतदान प्रतिशत 80 प्रतिशत+ तक पहुँच सकता है। संसद और विधानसभाओं का पूरा कार्यकाल बिना चुनावी व्यवधान के चलेगा, जिससे नीति निर्माण और विकास कार्यों में गति आएगी। राजनीतिक ध्रुवीकरण अर्थात एकसमान चुनाव राष्ट्रीय मुद्दों पर अत्यधिक केंद्रीकरण कर सकता है, जिससे स्थानीय मुद्दे गौण हो सकते हैं। तकनीकी खतरे अर्थात डिजिटल वोटिंग में साइबर हमलों और डेटा गोपनीयता का जोखिम। संघीय असंतुलन अर्थात अगर किसी राज्य की सरकार बीच में गिरती है तो चुनाव चक्र टूट सकता है, जिससे पुनः असंगति का खतरा। मजबूत संवैधानिक सुरक्षा कवच अर्थात समय से पहले सरकार गिरने पर वैकल्पिक सरकार बनाने की बाध्यता। तकनीकी लचीलापन अर्थात बैकअप पेपर बैलेट, ऑडिट सिस्टम और ऑफलाइन वोटिंग विकल्प। क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का संतुलन अर्थात राष्ट्रीय और स्थानीय मुद्दों के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए चुनावी बहस और मीडिया कवरेज में कोटा प्रणाली।

निष्कर्ष– एक राष्ट्र, एक चुनाव का विचार भारतीय लोकतंत्र के लिए एक महत्वाकांक्षी और परिवर्तनकारी पहल हो सकता है। यह केवल चुनावी कैलेंडर बदलने का मामला नहीं है, बल्कि यह प्रशासनिक दक्षता, राजनीतिक स्थिरता, आर्थिक बचत और मतदाता सुविधा का एक समग्र पैकेज है। हालाँकि, इसके सामने कई संवैधानिक, राजनीतिक, तकनीकी और सामाजिक चुनौतियाँ हैं, जिन्हें नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता। विशेषकर, भारत का संघीय ढांचा, विविध राजनीतिक परिदृश्य और संसदीय परंपरा इसे जटिल बनाते हैं। अंतरराष्ट्रीय उदाहरण बताते हैं कि एक साथ चुनाव संभव हैं, लेकिन इसके लिए विधिक स्पष्टता, राजनीतिक सहमति, और तकनीकी तैयारी अनिवार्य है। यदि इसे चरणबद्ध रूप से, सभी पक्षकारों की सहमति और जनता की सहभागिता के साथ लागू किया जाए, तो यह न केवल चुनावी व्यवस्था को सरल बनाएगा, बल्कि शासन की गुणवत्ता और स्थिरता में भी सुधार करेगा।

अनुशंसाए–

1. **संवैधानिक संशोधन –** लोकसभा और विधानसभाओं की अवधि को एकसमान करने के लिए आवश्यक अनुच्छेदों में संशोधन।

eISSN 2581-8996
ONLINE
INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (IJARMS)
A BI-ANNUAL, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED JOURNAL
Volume 08, Issue 02, July 2025

2. **सर्वदलीय सहमति** – केंद्र और राज्यों के बीच संवाद स्थापित करने के लिए एक स्थायी चुनाव सुधार परिषद।
3. **चरणबद्ध कार्यान्वयन** – पहले लोकसभा और आधे राज्यों के चुनाव साथ कराए जाएँ, फिर अगले चक्र में सभी राज्य शामिल हों।
4. **रचनात्मक अविश्वास प्रस्ताव** – सरकार बदलने पर चुनाव से बचने के लिए जर्मनी जैसे मॉडल को अपनाना।
5. **तकनीकी तैयारी** – पर्याप्त संख्या में EVM, VVPAT, और सुरक्षित डिजिटल वोटिंग प्लेटफॉर्म की उपलब्धता।
6. **मतदाता जागरूकता अभियान** – शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में संयुक्त चुनाव की प्रक्रिया और लाभों पर जागरूकता।
7. **स्थानीय निकाय चुनावों का समन्वय** – पंचायती राज और शहरी निकाय चुनावों को भी एक लंबी अवधि के कैलेंडर में लाना।
8. **वित्तीय प्रबंधन** – प्रारंभिक निवेश के लिए विशेष "चुनाव सुधार कोष" का गठन।
9. **पायलट प्रोजेक्ट** – किसी दो राज्यों में संयुक्त चुनाव का ट्रायल, ताकि समस्याओं और समाधान का परीक्षण हो सके।
10. **अंतरराष्ट्रीय सहयोग** – अन्य देशों के चुनाव प्रबंधन निकायों से तकनीकी और प्रशासनिक अनुभव साझा करना।

सन्दर्भ सूची–

1- Austin, Granville. The Indian Constitution: Cornerstone of a Nation. Oxford University Press, 1966. ISBN: 9780195649598
2- Austin, Granville. Working a Democratic Constitution: A History of the Indian Experience. Oxford University Press, 2003. ISBN: 9780195656107
3- Kashyap, Subhash C. Our Constitution. National Book Trust, 2001. ISBN: 9788123728235
4- Basu, Durga Das. Introduction to the Constitution of India. LexisNexis, 2020. ISBN: 9789389991525
5- Noorani, A.G. Constitutional Questions and Citizens' Rights. Oxford University Press, 2006. ISBN: 9780195678291
6- Jain, M.P. Indian Constitutional Law. LexisNexis, 2019. ISBN: 9789389991532
7- Palshikar, Suhas et al. Indian Democracy. Oxford University Press, 2017. ISBN: 9780199465439
8- Choudhry, Sujit et al. The Oxford Handbook of the Indian Constitution. Oxford University Press, 2016. ISBN: 9780198704898
9- Bhattacharya, D.C. Political Theory: An Introduction. Pearson, 2012. ISBN: 9788131760870
10- Yadav, Yogendra. Making Sense of Indian Democracy. Permanent Black, 2021. ISBN: 9788178246311

11. Election Commission of India. Report on General Elections 2019. ECI Publication.

12. Law Commission of India. 170th Report on Reform of Electoral Laws. Government of India, 1999.

13. Law Commission of India. Report on Simultaneous Elections – Constitutional and Legal Perspectives, 2018.

14. NITI Aayog. Discussion Paper on Simultaneous Elections, January 2017.

15. Parliamentary Standing Committee on Personnel, Public Grievances, Law and Justice. Seventy-Ninth Report on Electoral Reforms, 2015.

16. Ministry of Law & Justice, Government of India. Background Paper on One Nation One Election, 2022.

17. ACE Electoral Knowledge Network. Comparative Studies on Election Timing.

18. International IDEA. Electoral System Design: The New International IDEA Handbook, 2018. ISBN: 9789187729660

19. Norris, Pippa. Electoral Integrity in America: Securing Democracy. Oxford University Press, 2018. ISBN: 9780190934163

20. South African Electoral Commission. National and Provincial Elections Report, 2019.

21. Pal, S.K. "Feasibility of Simultaneous Elections in India." Indian Journal of Public Administration, Vol. 64, No. 2, 2018. ISSN: 0019-5561

22. Kumar, A. "One Nation One Election: Prospects and Challenges." Economic and Political Weekly, 2020. ISSN: 0012-9976

23. Sharma, R. "Electoral Reforms in India: A Comparative Perspective." Journal of Constitutional Law, 2019.

24. Sridharan, E. "Electoral Timing and Coalition Politics in India." Asian Survey, Vol. 54, No. 5, 2014. ISSN: 0004-4687

25. Press Information Bureau (PIB), Government of India. Simultaneous Elections – Frequently Asked Questions, 2023.

26. The Hindu. "Explained: One Nation One Election Debate." 2023.

27. LiveLaw.in. "Supreme Court Observations on Simultaneous Elections." 2022.

28. PRS Legislative Research. Simultaneous Elections: The Issues and Challenges.

29. Observer Research Foundation (ORF). "One Nation One Election – A Policy Perspective." 2022.

30. BBC News. "India's Debate on Simultaneous Elections." 2023.